

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता एवं अन्य मदों में किये गये व्यय के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-247/आपदा-2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता एवं इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न मदों में व्यय यथा-विज्ञापन बिल, कम्प्यूटर मरम्मत, कार्टेज रिफिलिंग, स्टेशनरी आदि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के मद संख्या-11 से किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 3,50,000/- (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जिलाधिकारी, देवरिया के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से

यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 3,50,000/- (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/वी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)

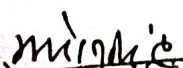
विशेष सचिव।

संख्या-1673(1)/एक-10-2022, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

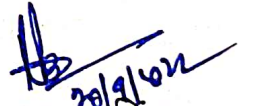
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-20/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1673
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1673
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	350000 350000	350000 350000
	योग	वर्तमान प्रगामी	350000 350000	350000 350000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया तीन लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी
आवंटन):- रूपया तीन लाख पचास हजार


 (अखिलेश प्रतापसिंह)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी